



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1353 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1353

विषय/ Sub: फ्यूल कंटेन्ट गेजिंग सप्लाइ टैंक (एस टी) प्रोब, पार्ट सं.: 235900000/
Fuel Content Gauging Supply Tank (ST) Probe,
Part No.: 235900000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एएसईआरडीसी, लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ- 226 016 द्वारा उत्पादित "फ्यूल कंटेन्ट गेजिंग सप्लाइ टैंक (एस टी) प्रोब", पार्ट सं.: 235900000 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1353, दिनांक: 15 सितम्बर 2008 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1353 जारी किया गया था। तदुपरांत यह संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1353-1आर, दिनांक: 20 फरवरी 2014 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक था।

This is to state that the "Fuel Content Gauging Supply (ST) Probe" bearing the Part No.: 235900000, designed & developed by M/s Hindustan Aeronautics Limited, ASERDC, Lucknow - 226 016 and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow-226 016, was issued with Type Approval No.: 1353 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1353, dated: 15th September 2008. It was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1353-1R, dated: 20th February 2014 with its validity up to 31st December 2018.

2. आरसीएमए(लखनऊ) से पत्र सं: आरसीएमए(लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 13 नवम्बर 2018 द्वारा प्राप्त मांग के आधार पर प्राथमिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. सेमिलैक/5070/टीए-1353, दिनांक: 15 सितम्बर 2008 के परिशिष्ट-ए के सारणी सं. 1 में निम्नलिखित को जोड़िए (आरेखन सं. के बाद):

Based on request from RCMA (Lko) vide their letter Ref. No.: RCMA (Lko)/341 /3/Tech/4, dated: 13th November 2018, in table 1 of Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: CEMILAC/5070/TA-1353, dated: 15th September 2008, add the following (after Drawing No.):

<i>Approved Component Build</i>	<i>235900000-264, Issue – 2K,</i>
<i>Standard(ACBS) No.:</i>	<i>dated: 07th August 2018</i>

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2024 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), डीआरडीओ, सेमिलैक, द्वारा एचएएल पोस्ट, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st February 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st January 2024 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), DRDO, CEMILAC, C/o HAL Post, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. सेमिलैक/5070/टीए-1353, दिनांक: 15 सितम्बर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1353, dated: 15th September 2008 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-1353/2R

दिनांक /Date: 11 February 2019

फैक्स सं./Fax No: 080 - 25230856

K. J. R.

P. Jayapal

पी जयपाल / P.JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)